वाष्पयंत्र निरीक्षकालय, छत्तीसगढ़

द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नं.–1, तेलीबांधा, पो.आ.–रविग्राम, रायपुर–492006

क्रमांकः मुनिवा / एम–7 / 2084 / 0224 / 2021 रायपुर, दिनांक 25/1/21

प्रति,

सभी अधिकारी गण
–वाष्पयंत्र निरीक्षकालय, छत्तीसगढ, रायपुर

विषयः– उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार (DPIIT) द्वारा **State Business Reform Action Plan** के अंतर्गत सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निर्देश।

विषयांतर्गत लेख है कि व्यवसाय में सरलीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा **State** Business Reform Action Plan के अंतर्गत सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये हैं, इसके पालन में निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाता हैः–

1. वाष्पयंत्र निरीक्षकालय, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वाष्पयंत्र निर्माणकर्ता (बायलर मेनुफेक्चर) एवं विनिर्माणकर्ता / दुरूस्तीकर्ता (इरेक्टर / रिपेयर) के मान्यता एवं नवीनीकरण से संबंधित सेवाओं को केवल ऑन–लाईन एकल खिड़की प्रणाली द्वारा प्रदान किया जावेगा।

2. उपरोक्त वर्णित सेवा हेतु निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार सुविधायें ऑन–लाईन प्रदान की जायेगी।

   - आवेदन प्राप्ति।
   - आवेदन शुल्क का भुगतान।
   - आवेदन की स्थिति की जानकारी
   - अंतिम प्रमाण–पत्र के डाउनलोड की सुविधा।
   - तृतीय पक्ष सत्यापन।

   किसी भी प्रकार के आफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

3. वाष्पयंत्र निरीक्षकालय द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण श्रम विभाग द्वारा संचालित केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली (CIS) के माध्यम से किया जायेगाः

   - निरीक्षकों द्वारा वार्णित सेवा हेतु निरीक्षण पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्यतः 48 घंटे के भीतर Central Inspection System में ऑन–लाईन अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।

- निरीक्षण चेक लिस्ट के आधार पर निरीक्षण किया जावेगा।
- निरीक्षण प्रक्रिया को जवाबदेय एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षकों/अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार की जाने वाली निरीक्षण प्रक्रिया में जहां लागू हो, एक निरीक्षक किसी बायलर का लगातार दो बार निरीक्षण नहीं करेगा। अर्थात् प्रत्येक बार पूर्व में निरीक्षण करने वाले अधिकारी के स्थान पर अन्य निरीक्षक के माध्यम से निरीक्षण करवाया जाकर विभागीय कार्य संपादित किये जायेंगे।

4. उपरोक्त वर्णित सेवा हेतु ऑन–लाईन डैश बोर्ड में पंजीकरण व नवीनीकरण की कुल आवेदन संख्या तथा उसके निराकरण की स्थिति साप्ताहिक/मासिक स्तर पर अद्यतन की जायेगी तथा इन आंकड़ों का माध्य/माध्यिका (Mean/Median) प्रदर्शित किया जायेगा। यह डैश बोर्ड पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगा।

25/1/21

प्र. मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र
छत्तीसगढ़, रायपुर